राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 466/2024

पयोद जोशी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव प्रथम उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राजकुमार चतुर्वेदी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय माण्डलगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.09.1998 को व्याख्याता के पद पर राजकीय महाविद्यालय मेडतासिटी, नागौर में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2011 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एवं वर्ष 2018 में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अक्टूबर 2023 में अपीलार्थी का चयन आदेश दिनांक 06.10.2023 द्वारा प्राचार्य के पद पर किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में प्राचार्य के पद पर एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जायल 300 कि. मी. दूर किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण प्राचार्य, महाविद्यालय माण्डलगढ़ से प्राचार्य एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय शर्मा बनाम राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलार्थी के उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रशंसा पत्र एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गये (अनुलग्नक–2)। राज्य सरकार की नीति के

अनुसार राज्य स्तरीय पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का स्थानान्तरण पदस्थापन में प्राथमिकता दी गई है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.02.2011 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता देते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर पदस्थापन किया जाना चाहिये (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी के पिता जिनकी उम्र 85 वर्ष एवं अपीलार्थी की माताजी जिनकी उम्र 82 वर्ष है, जो अपीलार्थी पर आश्रित है जिनकी देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी के पिता लकवा रोग से पीडित है, जिनका निरन्तर इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की पुत्री कक्षा 7 एवं अपीलार्थी की छोटी पुत्री कक्षा 4 में सेंट एलिजा सोफिया स्कूल भीलवाडा में अध्ययनरत है, मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण से उसके बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियो का स्थानान्तरण व्यापक राज्य हित/छात्र हित एवं प्रशासनिक कारणों से किया जाता है। अपीलार्थी भीलवाडा जिले में वर्ष 1999 से निरन्तर 24 वर्षों से कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर स्थानान्तरण में प्राथमिकता देने सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं हैं। अपीलार्थी को 06.10.2023 को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया जाकर राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा पदस्थापित किया गया था जिसे दिनांक 07.10.2023 को आंशिक संशोधित कर अपीलार्थी को भीलवाडा में ही पुनः पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का कथन की 4 माह बाद स्थानान्तरण किया गया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी को भीलवाडा में ही प्राचार्य पद पर पदस्थापित रखा गया तथा दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी को राजहित में जायल में स्थानान्तरण किया गया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राचार्य एमएलवी राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, जायल किया है। आलौच्य आदेश को चुनौती का मुख्य आधार निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समंजित करने तथा वर्तमान महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर दिनांक 09.10.2023 से कार्यरत होने से अल्पावधि में स्थानान्तरण करना है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला हुआ। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक

07.02.2011 के अनुसार प्राथमिकता से उसके द्वारा प्रस्तावित तीन विकल्पों में से किसी एक पर पदस्थापन करना चाहिए जो कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं कर अपीलार्थी को 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया है। इससे अपीलार्थी को पारिवारिक परेशानी उत्पन्न होगी।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह तथ्य अवगत कराया कि अपीलार्थी लम्बी अवधि से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर प्राचार्य पदोन्नति से पहले से कार्यरत है। लिहाजा यह अल्पावधि में स्थानान्तरण का प्रकरण नहीं है। अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत पदस्थापन विवरण में भी बड़े चतुर तरीके से मात्र 16.09.98 से 15.07.99 एवं उसके बाद 08.10.2023 से वर्तमान पदस्थापन का विवरण ही अंकित किया, शेष विवरण को जानबूझकर छिपाया गया ताकि सही स्थिति उद्घाटित नहीं हो। अधिकरण एक वरिष्ठ राज्य सेवक से इस तरह से कृत्य की अपेक्षा नहीं करता है। राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार पदस्थापन का उच्च शिक्षा विभाग का कोई आदेश/परिपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। हम आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या विधिक त्रुटि अथवा दुर्भावना नहीं पाते है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य